आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर न्यायाधीश **नियमित दीवानी प्रकरण सं. 02/2024 रमेश कुमार विरूद्ध डॉ. शैलेश गोयल आदि (cis 8/2024)**	संख्याक व दिनांक पत्र जो इस आदेश की पालना में निर्गमित हु05
31.05.2025	उपस्थित–	

उपस्थित–

श्री राजेन्द्र ग्रोवर अधिवक्ता वादी पक्ष

श्री राजन कुक्कड़ अधिवक्ता प्रतिवादी सं.2

श्री ओम यादव, अधिवक्ता–प्रतिवादी सं.1

अधिवक्ता प्रतिवादी सं.2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. प्रस्तुत किया, जिसका जवाब वादी पक्ष द्वारा पेश नहीं करना चाहा। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं.2 का कथन है कि यह वाद परिसीमा अवधि बाद प्रस्तुत किया गया है। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत ऐसा वाद प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि एक वर्ष है, जबकि यह वाद परिसीमा अवधि अवसान पश्चात प्रस्तुत किया गया है, इसलिए आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. के अंतर्गत इसी प्रक्रम पर वाद विधि बाधित होना दर्शाकर निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी पक्ष के द्वारा पक्षकथन किया गया कि प्रस्तुत वाद पूरी तरह से परिसीमाकाल में है व पत्रावली साक्ष्य वादी के प्रक्रम पर चल रही है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा परिसीमा अवधि बाबत अपने वादोत्तर में आपत्ति नहीं ली गई है, अतः अब इस प्रक्रम पर न तो ऐसी आपत्ति की जा सकती है, न ही उक्त वाद परिसीमा बाहर है व प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

पक्षकथनों पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी के द्वारा अपने वादोत्तर में परिसीमा अवधि के संबंध में कोई आपत्ति नहीं ली गई है और यह उक्त प्रकरण के अंतिम निस्तारण के समय ही तय किया जा सकता है कि उक्त वाद प्रकरण परिसीमा अवधि के बाहर है अथवा नहीं ? आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. के अंतर्गत जो कारण उक्त प्रार्थना पत्र में बतलाया गया है, उसके आधार पर इस प्रक्रम पर उक्त वाद निरस्त नहीं किया जा सकता। परिसीमाकाल का बिन्दु उक्त प्रकरण के अंतिम निस्तारण के समय ही तय किया जा सकता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के कोई आधार नहीं है

निष्कर्षतः प्रतिवादी सं.2 डॉ. सौरभ अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. **अस्वीकार** किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली साक्ष्य वादी(जिरह) हेतु दिनांक
को पेश हो।

(संजीव मागो)